न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

प्रदीप कुमार राय बनाम प्रमोद कुमार राय

वाद संख्या –127 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्यवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित

आदेश

20/10/23

अभिलेख उपस्थापित। प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा– बरमसिया, थाना– बिरनी, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 01, 35 प्लॉट न०– 02, 05 रकवा– 24 डी० चौहद्दी– उ०– सहदेव राय वो संजय राय परती जमीन, द०– गिरिश राय का खाली जमीन, पु०– कच्चा रास्ता, प०– सरिया धनवार रोड पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी बिरनी के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की उक्त भूमि उभय पक्षों की पैतृक संपत्ति है जो उभय पक्षों के दादा के द्वारा उभय पक्ष के पिता एवं चाचा को हुक्मनामा के माध्यम से प्राप्त है। उक्त भूमि बकास्त एवं गैरमजरूआ खास खाते की है। उक्त भूमि का घरेलू बटवारा हो चुका है एवं सभी हिस्सेदार शांतिपूर्वक अपने–अपने हिस्से में दखलकार है। द्वितीय पक्ष के द्वारा प्रथम पक्ष के हिस्से की जमीन पर चारं दिवारी निर्माण कराने के प्रयास को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ जिस कारण वाद लाया गया है।

प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए।

1. अंचल कार्यालय बिरनी से निर्गत सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पत्रांक 621 दिनांक 17.07.2021 की छायाप्रति नामांकन मुकदमा सं० 2034 R27/2020 – 21/बिरनी अस्वीकृति की सूचना, मुकदमा सं० 2038 R27/2020 – 21/बिरनी अस्वीकृति की सूचना।
2. बंटवारानामा की छायाप्रति।
3. मुरली मनोहर राय वगै० के नाम पर निर्गत राजस्व रशीद की छायाप्रति।
4. प्रफुल्ल चंद्र राय के मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
5. केवाला संख्या 13558 वर्ष 2011 के सत्यापित कॉपी की छायाप्रति।
6. केवाला संख्या 13578 वर्ष 2011 के सत्यापित कॉपी की छायाप्रति।

द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नगत वाद की भूमि द्वितीय पक्ष की पत्नी सरिता देवी को केवाला दस्तावेज सं० 13558 दिनांक 29.12.2011 एवं केवाला दस्तावेज सं० 13578 दिनांक 29.12.2011 के द्वारा मूरली मनोहर राय बनाम सरिता देवी को प्राप्त है। केवाला प्राप्त होने के बाद से द्वितीय पक्ष शांति पूर्वक दखलकार है।

द्वितीय पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं।

Pr

1. केवाला सं० 13558 दिनांक 29.12.2011 की छायाप्रति।

2. केवाला सं० 13578 दिनांक 29.12.2011 की छायाप्रति।

3. बंटवारानामा की छायाप्रति।

थाना प्रभारी बिरनी के द्वारा जाँच प्रतिवेदन संर्पित कर बतलाया गया है कि प्रश्नगत भूमि बकास्त खाता की है जिस पर तीन हिस्सेदार स्व० प्रफुल्ल चन्द्र राय, प्रदीप राय एवं प्रमोद राय का पूर्व में पिताजी की उपस्थिति में हीं घरेलू बटवारा हो चुका है तब से तीनों हिस्सदार काबिज़ थे। प्रथम पक्ष द्वारा चारदीवारी हेतु पत्थर गिराये थे इसी बीच द्वितीय पक्ष अपना दावा करते हुए विवादित भूमि पर जबरन घेराबन्दी करने के लिए ईट गिरा दिये जिससे दोनो पक्षों के बीच विवाद हो गया एवं तनाव उत्पन्न हो गया वर्त्तमान में उक्त जमीन खाली परती टांड है जिसपर दोनो पक्षो के द्वारा अपना–अपना दावा किया जा रहा है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रश्नगत भूमि पर बँटवारे तथा स्वत्व से संबंधित विवाद है जिसका निष्पादन इस न्यायालय कि क्षेत्राधिकार में नहीं है। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है सक्षम न्यायालय में वाद लाकर अपना–अपना दावा प्रस्तुत करते हुए विवाद का निपटारा कर लें। तब तक क्षेत्र की शांति व्यवस्था बनाये रखें। उक्त वाद में किसी पक्ष के हित में आदेश पारित करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

उक्त आशय के साथ वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उक्त आदेश का परिचालन द०प्र०सं० की धारा 144 (4) के अधीन प्रभावी होगा।

लेखापित एवं संशोधित,

20/10/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

20/10/23

अनुमंडल दण्डाधिकारी
बगोदर–सरिया।

C.C. Issued 30/4/24

C.C. Issued 23/4/24

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 14:05:10 +05:30
Location: 192.168.1.3